

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 फरवरी 2020—माघ 12, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020

क्र. 2056-27-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31 जनवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १२ सन् २०२०

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९

[दिनांक ३१ जनवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ०१ फरवरी, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २४ का संशोधन.

२. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१)की धारा २४ में,—
(एक) उपधारा (३) में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(एक) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;”;

(दो) उपधारा (३-क) में, शब्द “प्रबन्ध बोर्ड” के स्थान पर, शब्द “राज्य सरकार” स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020

क्र. -27-इक्कीस-अ-(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 12 OF 2020

**THE MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019**

[Received the assent of the Governor on the 31st January, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 01st February, 2020.

An Act further to amend the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 24.

2. In Section 24 of the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991 (No. 9 of 1991),—

(i) in sub-section (3), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) one person nominated by the State Government;"

(ii) in sub-section (3-A), for the words "Board of Management", the words "State Government" shall be substituted.